

||यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

पीठासीन अधिकारी :- बाबूलाल जाट (R.A.S.)

राजस्व वाद सं. 42/2019 (RCMS No. 2019/00091)

वादीगण

1. गुलाबचन्द पुत्र लक्ष्मणराम जाति नायक निवासी कुचामनसिटी जिला नागौर राज.

बनाम

अप्रार्थीगण

1. राजस्थान राज्य तहसीलदार कुचामनसिटी जिला नागौर

आवेदन पत्र पत्थरगढी करवाने राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत खसरा नम्बर 500 रकबा 0.3250 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 3081/500 रकबा 0.3250 हैक्टर बारानी तृतीय की पत्थरगढी (determination of boundaries) करवाने बाबत।
उपस्थित - श्री रामनिवास चौधरी अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।

आदेश

दिनांक :- 22.11.2019

प्रस्तुत प्रकरण का सार संक्षेप में इस प्रकार से है प्रार्थी एकल खातेदारी एवं आधिपत्य की कृषि भूमि पटवार मण्डल कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 500 रकबा 0.3250 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 3081/500 रकबा 0.3250 हैक्टर बारानी 3 आई हुई है, जिसकी सुरक्षार्थ पत्थर गढी (नेखमबंदी determination of boundaries) करवाई जाना आवश्यक है, उक्त प्रश्नगत भूमि की पत्थरगढी राजस्व विभाग कर्मचारियों के माध्यम से पुलिस ईमदाद से पत्थरगढी (determination of boundaries) के आदेश प्रदान करावे।

प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे जिससे उनके विरुद्ध एक-पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। दस्तावेजी साक्ष्य में प्रार्थी द्वारा चालू जमाबंदी नकल एवं नक्शा ट्रेस की नकल प्रस्तुत की।

वकील प्रार्थी की एक-पक्षीय बहस सुनी गई जिन्होंने उपरोक्त भूमि में पत्थरगढी कराये जाने का निवेदन किया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात इत्यादि का अवलोकन किया गया, प्रार्थी द्वारा उपरोक्त भूमि का सीमाज्ञान करवाकर रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है तथा जमाबंदी के अवलोकन से स्पष्ट है कि उपरोक्त भूमि विवादित है जिसमें माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी नागौर का स्थगन है। जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थी ने जानबूझकर तथ्य छिपाकर प्रकरण इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है। साथ ही किसी भी दृष्टि से प्रकरण साबित नहीं है। अतः प्रार्थना-पत्र साबित नहीं होने से काबिल खारिज है।

आदेश

प्रार्थना-पत्र प्रार्थी साबित नहीं होने से खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 22.11.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बाबूलाल जाट RAS)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)

